परिशिष्ट-1

म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या.
खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल

क्र./वनो/सह./2010/12166 भोपाल, दिनांक ~~16.11.2010~~ 22.11.2010

प्रति,

समस्त प्रबन्ध संचालक,
जिला वनोपज यूनियन
मध्य प्रदेश ।

विषयः— एकलव्य शिक्षा विकास योजना ।

////

1. आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ की नई 'एकलव्य शिक्षा विकास योजना' का शुभारम्भ औपचारिक रूप से दिनांक 15 नवम्बर, 2010 को हो गया है । संघ की यह जन कल्याणकारी अभिनव योजना दूरस्थ वनक्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े संग्राहकों, फड़मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के मेधावी बच्चों के लिए है, जो धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं । इस योजना का शुभारम्भ भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के मुख्य आतिथ्य तथा प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल मे दिनांक 15.11.2010 को आयोजित समारोह में किया गया । इस समारोह में योजना की विवरणिका (Brochure) का भी विमोचन किया गया जिसकी प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं । कृपया इसका भलीभॉति अध्ययन कर लें ताकि योजना को सही व प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके ।

2. इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये । इस हेतु कृपया तत्काल जिला यूनियन स्तर पर समस्त प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबन्धकों का सम्मेलन बुलाकर उन्हें इस योजना की जानकारी दी जाये । उन्हें यह भी निर्देशित किया जाये कि वे उनके क्षेत्र के अन्दर आने वाले ग्रामों में जाकर योजना का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करें । स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी योजना की जानकारी दी जाये। इसके अतिरिक्त स्थानीय वनाधिकारियों व वन कर्मचारियों के माध्यम से भी योजना का प्रचार–प्रसार किया जाये ।

3. यह योजना शिक्षा सत्र 2010–11 से ही प्रारम्भ की जा रही है । अतः इस सत्र में पहले से ही पढ़ रहे पात्र विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं । आवेदन निर्धारित प्ररूप (प्रति संलग्न) में सादे कागज में 31 दिसम्बर, 2010 तक सम्बन्धित जिला वनोपज यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन प्राप्त आवेदन पत्रों की अपने स्तर पर छानबीन कर 31 जनवरी, 2011 तक अनिवार्य रूप से संघ मुख्यालय को पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे । उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा तथा यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिये संबंधित प्रबंध

संचालक, जिला यूनियन ही उत्तरदायी होंगे । अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये । इसी प्रकार यदि कोई पात्र मेधावी छात्र/छात्रा जानकारी के अभाव में समय–सीमा (31.12.2010) के अन्तर्गत आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिये संबंधित प्रबन्धक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति को उत्तरदायी माना जायेगा ।

4. इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं विद्यार्थियों के आवेदनों को स्वीकार किया जायेगा, जो निम्न अर्हतायें रखते हों :–

(क) आवेदक के माता–पिता में से कोई एक अथवा दोनों तेंदूपत्ता संग्राहक, फड़मुंशी अथवा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबन्धक हो तथा उन्होंने विगत पॉच वर्षों (सत्र 2010 के लिये वर्ष 2006 से 2010 तक) में से कम से कम तीन वर्षों में तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया हो । तेंदूपत्ता संग्राहक की स्थिति में इन 3 वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो । यदि आवेदक के माता/पिता दोनों ने ही तेंदूपत्ता संग्रहण किया है, तो उन दोनों के द्वारा संग्रहित कुल मात्रा कम से कम एक मानक बोरा होनी चाहिये ।

(ख) आवेदक विद्यार्थी ने पिछली कक्षा में (सत्र 2010–11 की छात्रवृत्ति के लिये शिक्षा सत्र 2009–10 में आयोजित परीक्षा) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हों ।

आवेदन पत्र संघ मुख्यालय को अग्रेषित करने के पूर्व प्रबंध संचालक जिला यूनियन सम्बन्धित मूल अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों के आधार पर स्वयं को सन्तुष्ट करेंगे कि आवेदक उपरोक्त दोनों अर्हतायें रखता है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे साथ ही वे उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियॉ भी कार्यालयीन अभिलेख हेतु प्रकरण की नस्ती में सुरक्षित रखेंगे । मूल प्रमाण पत्र /अभिलेख अथवा उनकी सत्यापित छाया प्रतियॉ संघ मुख्यालय को न भेजी जायें ।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड) इस योजना के अन्तर्गत चयन हेतु न्यूनतम आवश्यक अर्हता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का इस योजना के अन्तर्गत चयन हो ही जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत व्यय हेतु संघ के संचालक मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष बजट स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है । इसी बजट सीमा के अन्तर्गत राज्य स्तर पर संघ मुख्यालय में तैयार की गई प्रावीण्य सूची (Merit list) के आधार पर योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को चयनित किया जायेगा । योजना के प्रचार–प्रसार के समय इस बिन्दु को भली–भॉति स्पष्ट कर दिया जाये ताकि इस सम्बन्ध में कोई भ्रम की स्थिति निर्मित न हो ।

6. वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल बजट में से 50 प्रतिशत राशि से 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को छात्रवृतियॉ दी जायेंगी । तद्नुसार ही इन दोनों वर्गों के लिये पृथक–पृथक प्रावीण्य सूचियॉ राज्य स्तर पर बनाई जायेगी, जो कि

आवेदकों द्वारा पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही कम में तैयार की जायेंगी ।

7. शिक्षा सत्र 2011–12 के लिये आवेदन पत्र 31 जुलाई 2011 तक प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त 31 अगस्त, 2011 तक संघ मुख्यालय पहुँचायें जायेंगे । आगामी वर्षों में भी उक्त तिथियों तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे ।

8. एक बार इस योजना के अन्तर्गत चयन होने पर चयनित विद्यार्थी को तब तक इस योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा जब तक वह कम से कम 60 प्रतिशत (अथवा समकक्ष ग्रेड) प्राप्त करता रहे । अतः आगामी शिक्षा सत्र में छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के पूर्व चयनित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष अंक तालिका की सत्यापित छाया प्रति प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा संघ मुख्यालय को इसकी सूचना देनी होगी । परन्तु यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थितिवश किसी चयनित विद्यार्थी का प्रदर्शन इससे नीचे जाता है तो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा उसमें दर्शित कारणों पर विचार करने के उपरान्त उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन की अनुशंसा पर संघ मुख्यालय स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

9. इस योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों (सहायक पुस्तकें नहीं) के क्रय पर होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल पर आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर श्रेणी अथवा/ एवं साधारण श्रेणी में यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी परन्तु वर्ष के दौरान योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी ।

(क) कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिये रू. 12,000/–
(ख) कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये रू. 15,000/–
(ग) गैर तकनीकी स्नातक उपाधि प्राप्त हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये रू. 20,000/–
(घ) व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिये रू. 50,000/–

परन्तु यदि चयनित विद्यार्थी को केन्द्र/राज्य शासन अथवा किसी भी अन्य संस्था से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, तो संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजनान्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में इस सीमा तक कमी कर दी जायेगी । अर्थात् समस्त स्त्रोतों से मिलाकर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति वास्तविक अथवा उपर दर्शित अधिकतम सीमा (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगी ।

10. प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन उपरोक्त विभिन्न मदों पर होने वाले वास्तविक / अनुमानित एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त छात्रवृत्ति /आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी

छानबीन करेंगे । इस हेतु शिक्षा संस्थान के प्राचार्य / निदेशक एवं छात्रावास वार्डन से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

11. संघ मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान दो किश्तों में सम्बन्धित प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा किया जायेगा । प्रथम किश्त, जो कुल स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत होगी, का भुगतान अग्रिम के रूप में स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही आवेदक के अभिभावक को कर दिया जायेगा । दूसरी किश्त का भुगतान आवेदक द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के प्रमाण पत्र (शिक्षण शुल्क/छात्रावास शुल्क की जमा रसीद, पुस्तकों के क्रय का कैश मेमो, रेल/बस के टिकट इत्यादि) प्रस्तुत करने पर किया जायेगा ।

चूँकि इस वर्ष शिक्षण सत्र पहले ही प्रारम्भ हो चुका है तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश शुल्क एवं कुछ नाहों के शिक्षण शुल्क का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका होगा, अतः छात्रवृत्ति का भुगतान चयनित आवेदकों के अभिभावकों को ही करना एड़ेगा । आगामी वर्षों में प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास शुल्क का भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सीधे संबंधित शिक्षण संस्था के प्रचार्य/निदेशक को किया जायेगा तथा शेष राशि का भुगतान चयनित विद्यार्थी के माता/पिता अथवा वैध अभिभावक को किया जायेगा ।

12. इस अभिनव जनकल्याणकारी योजना के सफल कियान्वयन हेतु आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । कृपया इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करें एवं निर्धारित समयावधि में आवश्यक छानबीन उपरान्त आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः— 1. योजना की विवरणिका की प्रतियाँ
2. योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्ररूप

22.11.2010
(डॉ. पी.के. शुक्ला)
प्रबन्ध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या.
भोपाल,दिनांक 22.11.2010

पृ.क./वनो/सह./2010/ 12167
प्रतिलिपिः—

1. संलग्नकों सहित समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, लघु वनोपज संघ, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

22.11.2010
प्रबन्ध संचालक